



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3.—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1945]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 11, 2011/आश्विन 19, 1933

No. 1945]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 11, 2011/ASVINA 19, 1933

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2011

का.आ. 2336(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग को उक्त सारणी के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवशन को जो उक्त सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, के खंड को विकास और रखरखाव से संबंधित कृत्यों का प्रयोग करने के लिए सीमा सड़क संगठन को निर्देश देती है, अर्थात् :—

सारणी

राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	सेवशन	किलोमीटर में वर्णन
(1)	(2)	(3)
229	तवांग-बोमडिला-निचिपू (अरुणाचल प्रदेश राज्य में)	0.00 कि.मी. से 233.00 कि.मी.

[फा. सं. एनएच-14012/2/2008-पी एंड एम (भाग)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2011

S.O. 2336(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the Border Roads Organisation shall exercise the function relating to the development and maintenance of the stretch as specified in column (3) of the following Table, of the Section as mentioned in column (2) of the said Table, of the National Highway as described in column (1) thereof :—

## TABLE

National Highway No.	Section	Stretches in kilometers
(1)	(2)	(3)
229	Tawang-Bomdila Nichipu (In the State of Arunachal Pradesh)	From Km. 0.00 to Km. 233.00

[F. No. NH-14012/2/2008-P &amp; M (Pt.)]

MAYAPRAKASH, Dy. Secy.

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्टूबर, 2011

**का.आ. 2337(अ).**—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 का और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम संख्या 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

- |     |  |                              |
|-----|--|------------------------------|
| “2. | राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 37, सं. 52क, सं. 52ख, सं. 153 और सं. 229 [0.00 कि.मी. से 233.00 कि.मी. (त्वांग-बोमडिला-निचिपु) को छोड़कर] अरुणाचल राज्य के भीतर। | अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार।” |
|-----|--|------------------------------|

[फा. सं. एन एच-14012/2/2008-पी एंड एम (भाग)]

माया प्रकाश, उप-सचिव

**पाद टिप्पणि.**—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 1096(अ), तारीख 4 अगस्त, 2005 को प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन का.आ. 1792(अ), तारीख 3 अगस्त, 2011 द्वारा किया गया।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2011

**S.O. 2337(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely :—

In the Schedule to said notification, for serial number 2 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

- |    |  |   |
|----|--|---|
| “2 | So much of National Highways No. 37, No. 52A, No. 52B, No. 153 and No. 229 [excluding from Km. 0.00 to Km. 233.00 (Tawang-Bomdila Nichipu)] as are situated within the State of Arunachal Pradesh. | State Government of Arunachal Pradesh.” |
|----|--|---|

[F. No. NH-14012/2/2008-P &amp; M (Pt.)]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

**Foot Note.**— The principal notification was published *vide* number S.O. 1096(E), dated the 4th August, 2005 and last amended *vide* number S.O. 1792(E), dated the 3rd August, 2011.